Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों का महत्व

गीता धायल[1], डॉ महेन्द्र कुमार मीना[2]

[1]शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग, जी. जी. टी. पू. बाँसवाड़ा, राजस्थान

[2]एसोसियट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, जी. जी. टी. यू. बाँसवाड़ा, राजस्थान

शोध सार

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल और सुचार संचालन के लिए नागरिकों के हितो का उचित प्रतिनिधित्व होना अत्यावश्यक है। लोकतंत्र में राजनीति परामर्श एवं बातचीत के माध्यम से होती है। इस प्रक्रिया में दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दबाव समूहों को आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाता है। एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था के विकास के लिए दबाव समूहों का अस्तित्व में रहना अनिवार्य माना जाता है। हालांकि दबाव समूहों के संबंध में संविधान में कोई रूपष्ट प्रावधान नहीं है फिर भी अनुच्छेद 19 में यह घोषणा की गई है कि 'सभी नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार होगा'। प्रस्तावना के साथ ही कई संवैधानिक प्रावधानों का निहित विचार यह है कि लोगों को अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए और अन्याय व भेदभाव का विरोध करना चाहिए। लोग अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघों का निर्माण करते है और इस प्रकार विभिन्न संघ दबाव समूहों के रूप में उभरे है। दबाव समूहों के महत्व को रेखांकित करते हुए सैमुअल फाइनर ने इन्हें ''अनाम साम्राज्य'' कहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। जेसे वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व मे लोकपाल की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में हड़ताल की । जिसके परिणामस्वरूप 2011 में लोकपाल विधेयक पेश हुवा और 2013 में पारित हुआ। इसी प्रकार राजस्थान में सूचना के अधिकार को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई जो किसान मजदूर शक्ति संगठन (अरुणा राय के नेतृत्व में) द्वारा शुरू किया गया था।

की वर्ड– लोकतंत्र, दबाव समूह, संविधान, नागरिक हित

प्रस्तावना

दबाव समूह का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होकर अपने हितों को बढ़ावा देते है और उनकी रक्षा करते है। ये राजनैतिक दलों से भिन्न होते है। ये न तो चुनाव में भाग लेते है और न ही राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये कुछ विशेष कार्यक्रमो और मुद्दों से सबंधित होते हैं और इनकी इच्छा सरकार में प्रभाव बनाकर अपने सदस्यों की सुरक्षा और हितों को बढ़ाना होता है। दबाव समूह आधुनिक लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों के साथ–साथ दबाव समूहों का भी विकास हुआ है। इंग्लैंड और भारत जैसे देशों में आज इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। बीसवीं सदी के आरंभ में दबाव समूहों को हेय दृष्टि से देखा जाता था परन्तु अब स्थिति बदल गयी है और दबाव समूह को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया है। इन्हें राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए आवश्यक समझा जाता है। राजनीतिक क्षेत्र के नीति–निर्माण और प्रशासन पर दिन – प्रतिदिन इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मायरन वीनर ने दबाव समूह की परिभाषा – देते हुए लिखा है कि दबाव–गुट अथवा हित–समूह से हमारा अभिप्राय ऐसे किसी ऐछिक रूप से संगठित समूह से होता है जो सरकार संगठन से बाहर रहकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, इसके प्रशासन तथा इसके निर्णय को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है'। दबाव समूहों का किसी राजनीतिक दल से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है किन्तु अपने हितों को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी राजनीतिक दल से अपना

संबंध स्थापित कर लेते है। राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूहों को केवल एक वर्ग का समर्थन प्राप्त होता है। ये केवल विधानमंडल के बाहर काम करते है। जहाँ एक बार में व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर सकता है वही एक व्यक्ति एक ही समय में कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है।

अध्ययन पद्धति

उपर्युक्त शोध पत्र में ऐतिहासिक एवं वर्णात्मक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। लोकतंत्र में लोकतंत्र में दबाव समूहों के मध्य के बारे में व्यापक अध्ययन करने के लिए द्वितीयक आँकडों (पुस्तक, पत्र–पत्रिकाएँ, वेबसाइट्स) का उपयोग किया गया है।

उद्देश्य:

1 लोकतंत्र में दबाव समूहों के महत्व का अध्ययन करना।
2 दबाव समूहों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन करना।
3 बदलते तकनीकी युग मे दबाव समूहों की कार्यप्रणाली व महत्व में आये बदलावों का विश्लेषण करना।

दबाव समूहों के कार्य

दबाव समूह लोगों की मांगों और जरूरतों को निर्णयकत्ताओं के ध्यान में लाते है। ये राजनीतिक समाजीकरण के एजेंट है क्योंकि वे राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति लोगो के झुकाव को प्रभावित करते है। दबाव समूह विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणापत्र तैयार करने को लेकर कानून पारित करने तक दबाव समूह इस प्रक्रिया से जुड़े रहते है। अपने हिंत्तो की सुरक्षा के लिए मे न्यायिक प्रणाली का भी सहारा लेते है। अक्सर सरकार के विरुद्ध अपनी शिकायतों के समाधान के साथ–साथ किसी निर्णय विशेष को अवैधानिक घोषित कराने के लिए न्यायालय में जाते है। जनमत के निर्माण में दबाव समूह प्रमुख भूमिका निभातें है। प्रत्येक दबाव समूह ऐसे कानूनों, नियमों और नीतियों का निरंतर मूल्यांकन करता है जिनका प्रभाव उसके सदस्यों के हितों पर पड़ता है। ये सरकार की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग करते हैं। दबाव समूहों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी और सलाह सरकार की नीति और कानून की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग करती है। दबाव समूह नई मांगों और मूद्दों को राजनीतिक एजेंडे तक पहुँचाने में सक्षम बनाते है जिससे सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। जैसे– महिला और पर्यावरणवादी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन आदि, दबाव समूह सरकार की गलत नीतियों और कार्यो को सामने लाकर विपक्षी राजनीतिक दलों के काम को पूरा करते हैं। लोगों हो जागरुक करने, डेटा एकत्रित करने और नीति निर्माताओं को विशिष्ट जानकारी प्रदान करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इस प्रकार ये सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

दबाव समूहों की कार्यप्रणाली

दबाव समूहों के कार्य करने के तरीको में हितों का प्रचार–प्रसार, प्रदर्शन, लॉबिंग, हडताल, बंद, धरना, न्यायिक कार्यवाहियाँ तथा सरकार अधिकारियों व संबंधित प्रतिनिधियों के साथ बैठकों व गोष्ठियों का आायोजन आदि प्रमुख है। मास मीडिया (रेडियो, टीवी,सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग, अपने विधायकों के साथ संपर्क बनाए रखना, जनता की राय सुनना। दबाव समूह अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संबद्ध संस्थाओं व सरकार पर दबाव डालते है अधिकारियों को प्रलोभन देते है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों को चंदा देते है। दबाव समूहों राजनीतिक दलों से भी संबद्ध होते है। जैसे – भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस पार्टी से तथा भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से सम्बंधित दबाव समूह है। हालांकि दबाव समूहों के कार्य करने की कोई एक कार्यविधि नहीं होती है। एक ही दबाव समूह भिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग कर सकता है। दबाव समूहों के कार्य करने

की विधियाँ उनके संगठन के स्वरूप, नेताओं के द्वारा अनुनय करने की क्षमता, समूह की वित्तीय स्थिति आदि के द्वारा निर्धारित होती है।

दबाव समूहों का महत्व :

दबाव समूह लोकतांत्रिक राजनीति का एक अनिवार्य और सहायक तत्व है। वर्तमान में समाज अत्यधिक जटिल हो गया है और व्यक्ति अपने हितों को अकेले आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए उन्हें समूह की आवश्यकता होती है। ध्याय समूहों द्वारा विभिन्न का तकनीकों का प्रयोग करके सरकार के फैसलों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए कार्य किया जाता है। लोकतंत्र के विकास के साथ–साथ दबाव समूहों के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। आज इन्हें लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानने के साथ–साथ व्यक्ति के हितों का रक्षक भी समझा जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 12 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि सरकार और नागरिक समाज के सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति भ्रष्टाचार विरोधी कानून का मसौदा तैयार करें। इसी कारण वर्ष 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोकपाल विधेयक पारित किया। इसी प्रकार पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने न्यायालय के माध्यम से ''नोटा'' की शुरुआत सुनिश्चित की। नालसा द्वारा तीसरे लिंग की मान्यता और उन्हें मतदान सहित अधिकार देने हेतु किए गए कार्य दबाव समूह के लोकतंत्र में महत्व को बताते है। आधुनिक भारत में देश के नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण हथियार ''सूचना के अधिकार'' को लागू करवाने के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने अप्रैल 1996 में इस जन आंदोलन की शुरुआत की। लम्बे संघर्ष के बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून लागू किया गया। वर्ष 2010 में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और आल राजस्थान इंटर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जिससे प्रभापित होकर सरकार द्वारा इनकी मांगों को मानते हुए मानदेय में वृद्धि की गई।

हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए 3 कृषि बिलों
1 (द फर्मिर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन) बिल, 2020
2 द फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट एंड छोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्रारत कश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2010 3 एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बित, 2020
का विपक्ष तथा प्रमुख कृषक दबाव समूहों (भारतीय किसान यूनियन द्वारा राकेश टिकैत के नेतृत्व में) ने व्यापक स्तर पर विरोध किया। इन दबाव समूहों ने प्रदर्शनों और रैलियों का सहारा लिया जिससे सरकार पर पारित कानूनों को वापस लेने का दबाव पड़ा। कई आदिवासी समूहों ने जनजातियों के शोषण के खिलाफ विरोधों की अगुमाई की हैं और इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को विवश किया है। उदाहरण के लिए वन अधिकार अधिनियम – 2006 और विभिन्न प्रादेशिक वन नीतियाँ। इसी तरह राजस्थान में कार्यरत प्रमुख दबाव समूह राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा अपनी ' 20 सूत्री मांगों को लेकर अक्टूबर 2022 में राजस्थान से गुजरात तक दांडी यात्रा की गई। 37 दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद मुखयमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। राजस्थान में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपरलीक की बढ़ती घटनाओं का विरोध इस संगठन द्वारा व्यापक स्तर पर किया गया। जिसके कारण सरकार द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक, २०१२ और राजस्थानी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विशेषक 2022 पारित किए गए हैं। सामान्य शब्दों में सामाजिक मुद्दों को लेकर जैसे चिपको आंदोलन, किसान बिल, एलजीबीटी समुदाय, सूचना का अधिकार आदि के रूप में दबाव समूहों की सकारात्मक भूमिका देखने को मिलती है। दबाव समूहों की उपस्थिति लोकतंत्र को जीवंत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सचेत करती है। उपर्युक्त उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं– की जब लोग अपनी उचित मांगों और अधिकारों के लिए संगठित होते है तो सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा किया जाता है।

दबाव समूहों द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ :

1 भारत में दबाव समूह पश्चिम के विकसित देशों के विपरीत मुख्यतः धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय मुद्दों के आधार पर संगठित होते है। इससे संकीर्ण स्वार्थ की प्रवृति को बढ़ावा मिलता है।

2 जहाँ राजनीतिक सत्ता कमजोर होती हैं और दबाव समूह अधिक शक्तिशाली होते है वहाँ पे सरकारी मशीनरी को अपनी मुट्ठी में ले लेते है।

3 दबाव समूह केवल अपने समूह के पक्ष में सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते है इससे शेष समुदायों के अधिकारों का हनन हो सकता है।

4 ये समूह हिंसा, अनशन, हड़ताल, प्रदर्शन, बंद आदि अवैधानिक साधनों का सहारा लेते है तथा विदेशी सहायता से प्रभावित होते है। जैसे, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ नक्सली आंदोलन द्य

5 इनकी कार्यशैली गुप्त रखी जाती है जन सामान्य को इसकी सूचना नहीं मिलती तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा अचानक काम बंद कर देने से प्रशासन ठप्प हो जाता है जिससे आम जनता को कठिनाई होती है।

6 दबाव समूह के विरोध के कारण अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ शुरू नहीं हो पाती। जैसे– कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में सुरक्षा को मुद्दा बनाया गया, मेघा पाटेकर व सुंदरलाल बहुगुणा का टिहरी बाँध के संबंध में आनदोलन। इस तरह के विरोध विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते है।

7 देश की सामाजिक– राजनीतिक समस्याओं को लेकर आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा माना जा सकता है। इससे अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले समूहों के बजाय राजनीतिक हितों को प्राप्त करने के उपकरण बन जाते है।

दबाव समूहों पर तकनीक का प्रभाव :

प्रौद्योगिकी ने लोकतंत्र में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरी दुनिया में इंटरनेट की पहुँच ने सूचनाओं के साथ जनता के दृष्टिकोण को प्रभावित करना आसान बना दिया है। वैश्विक स्तर पर 2010 और 2012 के बीच अरब बसंत में इंटरनेट (विक्टर टविटर की महत्त्वपूर्ण भूमिण थी। जब म पूर्व में प्रदर्शनकारियों ने विरोध और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए इस मंच (टविटर) का प्रयोग किया। तकनीकी युक्तियों में दबाव समूहों द्वारा यू–ट्यूब वीडियो जारी करना, फेसबुक पेज बनाना, ट्विटर पर अभियान चलाना, ई–मेल और व्हाटसप के माध्यम से संदेश प्रसारित करना आदि शामिल है। यू–ट्यूब और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करके आम लोगों से सीधा जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। तकनीकी साधनों को अपनाकर दबाव समूहों के पास अपने आंदोलन को वितपोषित करने और आदि लिए भुगतान किए बिना उन्हे बढ़ावा देने वाले उपकरण है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ भी संभव है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम को दबाव समूहों द्वारा अपनी मांगो को मनवाने के लिए अनेक अभियान चलाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए टिवटर हेजटेग को ट्रेंड में जाना, फेसबुक वीडियो को वायरल करना। राजस्थान में कार्यरत दबाव समूह बेरोजगार महासंघ द्वारा युवाओं की समस्यावो को लेकर आये दिन ट्विटर अभियान चलाए जाते है तथा सरकार तक सफलतापूर्वक अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाता है। हालांकि तकनीक का प्रयोग केवल सकारात्मक रूप से न होकर अनेक बार राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर शत्रुतापूर्ण तरीके से भी किया जाता है।

भारत में दबाव समूह

भारत में बडी संख्या में दबाव समूह उपस्थित है किन्तु थे उस तरह से विकसित नहीं हुए है जैसे पश्चिमी विकसित देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और अन्य में हुए है। भारत के दबाव समूहों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैं।

1 व्यवसाय समूह– इनमें बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों शामिल है। जैसे फिक्की, एसोचेम।

2 व्यापार संघ– ओधोगिक श्रमिकों की मांगों के संबंध में आवाज उठाते है। जैसे– ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस, सीटू।
3 खेतिहर समूह– ये किसानों और मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है। जैसे– भारतीय किसान यूनियन
4 छात्र संगठन– छात्र समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गठन।
5 धार्मिक संगठन– धर्म विशेष के हितों से संबंधित समूह। जैसे–आरएसएस, जमात–ए–इस्लामी, शिरोमणि अकाली दल
6 आदिवासी संगठन– ये जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग हो लेकर गठित किए गए है। जैसे – झारखंड मुक्ति मोर्चार्ण, ट्राइबल संघ ऑफ असम ।
7 भाषागत समूह– तमिल संघ, नागरी प्रचारिणी सभा, अनुमन संघ, तारीदरी–ए–उर्दू ।
8 जातीय समूह– मारवाडी एसोचिएयान, हरिजन सेवक रोग, कायस्थ समूह
9 विचारधारा आधारित समूह– पर्यावरण सुरक्षा संबंधी, गाँधी पीस फाउंडेशन, महिला अधिकार संगठन
10 पेशेवर समूह– इंडियन मेडिकल एसोसियन, बार काउंसिल ऑफ इंडियज्ञं

निष्कर्ष

दबाव समूह द्वारा किये जाने वाले कार्यों के आधार पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलतापूर्वक संचालन के लिए अनिवार्य अंग है। वर्तमान समय में वेलफेयर स्टेट के नाम पर सरकार के कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई है तथा शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया है जिससे तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति में दबाव समूहों की भूमिका और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते है। इसी तरह किसी भी व्यवस्था में कार्यरत संगठन में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष शामिल होते है। उपर्युक्त शोध पत्र में भी दबाव समूहों के महत्व एवं इनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों दोनों पक्षों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दबाव समूहों की भूमिका केवल सकारात्मक नहीं होती बल्कि अनेक बार ये स्वयं भी राष्ट्रीय हितों के लिए चुनौती उत्पन्न कर देते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में दबाव समूह समाज के विभिन्न वर्गो और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक साधन प्रदान करते है। परन्तु जीवंत और समावेशी लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए अतार्किक एवं अनावश्यक मांगों के विरुद्ध सकारात्मक कार्रवाई को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस तरह दबाव समूहों की निरंकुशता पर रोक लगाई जानी चाहिए, साथ ही इनके संघठन निर्माण, कार्यप्रणाली, वितपोषन आदि को कानूनी ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए जिससे स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. एस. फाइनर, पॉलिटिक्स, पार्टीत एक प्रेशर ग्रुप्स '', सेज जर्नल, 1958
2. मायरन वीनर, ''द पॉलिटिक्स ऑफ स्केएर्सिटीः पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रेस्पॉन्स इन इंडिया, शिकागो विवि प्रेस, 1962
3. जे.सी जौहरी, '' तुलनात्मक राजनीति, स्टलिंग पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली,2019
4. ओ पी गाबा, ''तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, ''मयूर पेपर बेकस प्रकाशक, जयपुर (2015)